(156)

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–शिवपुरी R 2016-III/13

गोईया पत्नी भरसू जाटव, निवासी – ग्राम नयागांव गूड़र, तहसील खनियाधाना जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदिका

विरूद्ध

1– सरमनबाई पुत्री सिरनाम सिंह लोधी
2– सुखवती पुत्री सिरनाम सिंह लोधी
3– धुबिया पत्नी सिरनाम सिंह लोधी
4– बादाम सिंह पुत्र सिरनाम सिंह लोधी

निवासीगण– ग्राम नयागांव गूड़र तहसील खनियाधाना, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिछोर, जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 105/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक–4 बादाम सिंह द्वारा एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 के तहत् ग्राम नयागांव गूड़र में स्थित भूमि खाता क्रमांक 160 कुलकिता 07 कुल रकवा 2.15 हेक्टेयर भूमि का सम्पूर्ण भाग एवं खाता क्रमांक 161 कुलकिता 15 रकवा 3.15 हेक्टेयर भूमि में से हिस्सा 1/3 के भाग का वसीयतनामा क्रमांक 14238 दिनांक 14.05.2009 को कराया गया था। उक्त वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण बावत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

2– यहकि, तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 53/10–11/अ–6 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस सम्बन्ध में विधिवत् रूप से उद्घोषणा जारी की गई है एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई। प्रकरण में प्रस्तुत की गई वसीयत को वसीयत गृहिता द्वारा प्रमाणित किया गया एवं उसके कथन कराये गये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त साक्ष्य एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त बादाम सिंह द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र० कमांक–निगरानी–2016–तीन/2013 जिला–शिवपुरी

गोईया विरूद्ध सरमन बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 105/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 13–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 28/5/19	